UPHM010036012022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।

क्रि.मि.संख्या- 443/2022

ओमवती बाम राज्य उ.प्र.

13.10.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त जिला कारागार से उपस्थित है। वादिनी ओमवती के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 9 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र पर बल देकर बताया कि वादिनी ओमवती अभियुक्त वीरपाल उर्फ बन्टा की माँ व नैसर्गिक संरक्षक है। उसके पुत्र की जन्मतिथि 01.07.2005 है तथा घटना 25.05.2021 की कही जा रही है। जन्मतिथि के आधार पर उसके पुत्र की उम्र घटना की तिथि को 15 वर्ष 10 माह 24 दिन थी। उसने वर्ष 2014-15 में कक्षा पाँच की परीक्षा सरस्वती शिशु मन्दिर से उत्तीर्ण की है। वह अंकपत्र एवं समस्त प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अतः किशोर न्यायबोर्ड को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया। उसने यह भी अवगत कराया कि क्रि.मि. संख्या- 309/2022 ओमवती प्रति राज्य उ.प्र. में दिनांक 19.09.2022 को इसी न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बाल अपचारी घोषित किया जा चुका है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा अवगत कराया गया कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अन्तर्गत 18 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति को बाल अपचारी घोषित किया जाना न्यायसंगत है। किशोर न्यायबोर्ड के आदेश की प्रति एवं प्रपत्रों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय को अवगत कराया कि मु.अ.सं0- 230/2021 अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506, 188, 269 भा.दं.सं. व 3(2) 5 ए, 3(1) ध एससी/एसटी एक्ट तथा 51, 57 आपदा प्रबन्धन व आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 26.05.2021 को दर्ज हुई, जो दिनांक 25.05.2021 की घटना के बाबत थी। चूंकि उपरोक्त तिथि पर अभियुक्त वीरपाल उर्फ बन्टा की जन्मतिथि दिनांकित 01.07.2005 के अनुसार किशोर था। अतः उक्त की जाँच हेतु पत्रावली को किशोर न्यायबोर्ड प्रतिप्रेषित किया जाये।

सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया। घटना दिनांक 25.05.2021 की है तथा अभियुक्त की जन्मतिथि 01.07.2005 है, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु परिलक्षित है। अतः उपरोक्त प्रकरण में किशोर न्यायबोर्ड को इस आशय से पत्रावली नियमानुसार प्रतिप्रेषित किया जाये कि मामले की जाँच कर वह नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। लिपिक नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तदनुसार दाण्डिक प्रकीर्ण संख्या- 443/2022 निस्तारित की जाती है।

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी)एक्ट,
हमीरपुर।